

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1.जिला गुडगांव थाना एस.वी.बी वर्ष 2014 प्र.सूरि.स 11 दिनांक 02.05.2014

2.अधिनियम पी.सी एक्ट धाराएं 7 पी.सी एक्ट

अन्य अधिनियम एवं धाराएं - - - - -

3.(क) घटना का दिन शुक्रवार दिनांक से दिनांक 02.05.2014

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना दिनांक 02.05.2014 समय 05.50 पी0एम0

(ग) (रोजनामचा संदर्भ) (प्राविष्टि संख्या) 7 समय 6.00 पी0एम0

4. (सूचना कैसे प्राप्त हुई) बजरिया सपैशल मैसेंजर (लिखित/मौखिक) : लिखित

5. घटना स्थान का ब्यौरा (क) (थाने से दिशा एवं दूरी) जानिब दक्षिण - पूर्व लगभग 65 कि0 मी0

(ख) पता :

(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस) (उस थाने का नाम) सैन्ट्रल सैक्टर -12 फरीदाबाद।

6. (शिकायतकर्ता/इतला देने वाला) :-

(क) शेर सिंह (ख) (पिता/पति का नाम) श्री परमाल

(ग) (जन्म तिथि) (घ) (राष्ट्रीयता) भारतीय

(ङ) पासपोर्ट सं0

(जारी करने की तिथि) (जारी करने का स्थान)

(च) (व्यवसाय) खेतीबाडी (पता) गांव चांद हट जिला पलवल।

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

1. औमप्रकाश पटवारी,
सरपलस जिला पलवल।

इस समय एक तहरीर हिन्दी हस्ताक्षरी श्री समर्थ सिंह निरीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो फरीदाबाद, बदस्त सि0 रोशनलाल न0 1108/फरीदाबाद, बराय कायमी मुकदमा प्राप्त हुई। जिसका विषय इस प्रकार से है "सेवा में विजिलैस इंस्पैक्टर सै0 17 फरीदाबाद, श्रीमान जी, निवेदन है कि मैं शेर सिंह सपुत्र श्री परमाल जाति जाट निवासी चांदहट तहसील व जिला पलवल का रहने वाला हूँ। मेरे बहनोई श्री गजराज सपुत्र लोटन निवासी झंगुरी तहसील हथीन जिला पलवल की जमीन दाखिल खारीज जमवाने (मंजूर कराने के लिए) एस.डी.एम कार्यालय के सरपलस के पटवारी औमप्रकाश से हमने अपने कार्य को कराने के लिए

कहाँ तो इसने 10 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की, जिसके चार लाख पहले ही दे चुके हैं। परन्तु यह आदमी हमारे कार्य को करता दिखाई नहीं दे रहा तथा हम और रकम देने में असमर्थ हैं, जो अब अपना खर्चा पाने के नाम रिश्वत रुपये 40,000/—रु, मांग कर रहा है, जो हम देना नहीं चाहते। मेरा या मेरे रिश्तेदारी का इसमें कोई पैसे का लेन-देन नहीं है और ना ही मेरी या अन्य कोई रंजिश नहीं है। कृपा इस भ्रष्ट कर्मचारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये। हस्ता हिन्दी : शेर सिंह सपुत्र श्री परमाल गांव चान्त त0 व जिला पलवल मो0 09896530672, कार्यवाही पुलिस :- आज मन निरीक्षक मय मुलाजमान कार्यालय एस.वी.बी यूनिट फरीदाबाद में हाजिर हूँ कि मुदई शेर सिंह सपुत्र परमार उपरोक्त ने एक लिखित दरखास्त बाबत मांगने रिश्वत ओमप्रकाश सरपलस पटवारी मु0 40,000/—रु रिश्वत मांगने बारे पेश की है। मजबून दरखास्त से सरेदस्त जुर्म 7 पी.सी एक्ट का सरजद होना पाया गया, जो मन निरीक्षक ने एक रेडिंग पार्टी तैयार की जिसमें एस.आई दलबीर सिंह, एच.सि. विजय कुमार, चालक सि. जुबेर खां, तहरीर बराये कायमी मुकदमा बदस्त सि0 रोशन लाल न0 1108/फरीदाबाद, के अरसाल थाना है। हालात बजरिया टैलिफोन अफसरान बाला को बतलाये गये। मन निरीक्षक मय रेडिंग पार्टी मय मुदई मय तफतीशी बैग हमराह लेकर बराये लेने प्रमिशन व कराने नियुक्ति ड्यूटी मैजिस्ट्रेट रवाना उपायुक्त कार्यालय फरीदाबाद का होता हूँ। मुकदमा दर्ज करके मुकदमा नम्बर से सूचित किया जावे। स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मजिस्ट्रेट व अफसरान बाला को भिजवाई जाये। हस्ता अग्रेंजी समर्थ सिंह निरीक्षक, उप केन्द्र फरीदाबाद दिनांक 02.05.2014, 3.20 पी.एम। अज थाना :- आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकूर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की पांच प्रतिया एक समय में चाक की गई, जो अफसरान बाला को भिजवाई जायेगी। एक पर्त प्रथम सूचना रिपोर्ट बतौर स्पैशल रिपोर्ट, स्पैशल मैसेजर आरिन्दा सि0 रोशन लाल न0 1108/फरीदाबाद सेवा में ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब भेजी जा रही है। मुकदमा हजा की मिशल व असल तहरीर बराये तफतीश मौका पर भिजवाने हेतु इसी सिपाही को दी गई।

हस्ता हिन्दी/— जगदीश चन्द्र
थाना प्रभारी का नाम
नाम : जगदीश चन्द्र
पद : निरीक्षक
सख्यां : 141/एच.ए.पी
दिनांक 02.05.2014 समय 7.00 पी.एम

श्रीमान जी,

नकल मुताबिक असल है।